

सं०ईडीएन०सी०-बी(2)-21/2015-लूज  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रार०शि०)  
हिमाचल प्रदेश सरकार,  
शिमला-171002

प्रेषित

1.निदेशक,उच्चतर शिक्षा,  
हिमाचल प्रदेश शिमला-171001

2.निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा  
हिमाचल प्रदेश शिमला-171001

दिनांक: शिमला-2

31-05-2016

विषय:- शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों का प्रथम अप्रैल, 2016 से मानदेय बढ़ाने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र संख्या शिक्षा (प्रा०) एच० (1)बी०(6)-18/88(नियुक्ति नियम), दिनांक 7 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रारम्भिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभागों में कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों का मानदेय बढ़ाने का मामला सरकार के विचाराधीन था। अतः सरकार ने अब इनका मानदेय दिनांक 1-04-2016 से ₹1700/- प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹1900/- प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले में तुरन्त आगामी कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से इस विभाग को सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय

अवर सचिव (प्रा०शिक्षा)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांक संख्या: यथोपरि दिनांक शिमला-171002, 2016  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हि०प्र० सरकार, शिमला -2 को मन्त्रीमण्डल की बैठक दिनांक 27.5.2016 की मद संख्या:13 के संदर्भ में प्रेषित है।
2. संयुक्त सचिव (शिक्षा) हि०प्र० सरकार शिमला-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
- 16/13. उप सचिव (वित्त) हि०प्र० सरकार शिमला-2 को उनकी दैनिकी संख्या 53591899 फिन(सी)बी(15)-5-2016-लूज दिनांक13-5-2016 के संदर्भ में प्रेषित है।

11611

अवर सचिव (प्रा०शिक्षा)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।